

लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के लोगों से करेंगे बात

# हड़ताल खत्म, हिट एंड रन कानून अभी नहीं लागू

केंद्रीय गृह सचिव ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की

सिटी24न्यूज/ब्यूरो

नई दिल्ली। हिट एंड रन को लेकर नए कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल खत्म होती दिख रही है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मंगलवार को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि नया कानून अभी लागू नहीं हुआ है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106/2 को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के लोगों से बात की जाएगी। उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा।

सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर सभी वाहन चालकों से अपने-अपने काम पर लौटने की अपील की है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भी सभी ड्राइवर्स से हड़ताल खत्म करने का आह्वान किया है। 'हिट-एंड-रन' मामलों के लिए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत जेल और जुर्माने के कड़े प्रावधान के खिलाफ ट्रक, बस और टैंकर ऑपरेटरों ने सोमवार को तीन



दिवसीय हड़ताल शुरू की थी। हड़ताल के मंगलवार को दूसरे दिन में प्रवेश करने के बीच उत्तर और पश्चिम भारत के करीब दो हजार पेट्रोल पंपों में ईंधन का भंडार खत्म हो गया। बीएनएस ने औपनिवेशिक युग की भारतीय दंड संहिता आईपीसी की जगह ली है। इसमें प्रावधान है कि लापरवाही से गाड़ी चलाकर गंभीर सड़क दुर्घटना का कारण बनने वाले और पुलिस या प्रशासन के किसी भी अधिकारी को सूचित किए बिना भागने वाले ड्राइवर्स को 10 साल तक की सजा या सात लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।

लापरवाही से गाड़ी चलाकर गंभीर दुर्घटना का कारण बनने वाले और पुलिस या प्रशासन को सूचित किए बिना भागने वाले ड्राइवर्स को 10 साल तक की सजा या सात लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।

## क्या थी आशंकाएं!

नए कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे और सड़कों से दूर रहने वाले कुछ ट्रक चालकों की आशंकाओं को गलत बताकर खारिज करते हुए पदाधिकारी ने कहा कि हिट-एंड-रन मामलों का प्रावधान केवल उन वाहन चालकों पर लागू होगा, जो पुलिस को बिना बताए भागने की कोशिश करेंगे। अधिकारी ने कहा दुर्घटना की सूचना पुलिस को देने वाले चालक पर कड़े कानून के तहत कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि वाहन चालक को डर है कि दुर्घटना स्थल पर रुकने पर उस पर हमला किया जाएगा, तो वह निकटतम पुलिस थाने जा सकता है या पुलिस या टोल फ्री आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 108 पर कॉल कर सकता है और दुर्घटना के बारे में सूचित कर सकता है।

सही समय पर लिया जाएगा फैसला: मंदिर ट्रस्ट

# रामलला प्रतिमा पर अभी नहीं हुआ निर्णय

2019 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद शुरू हुआ

सिटी24न्यूज/ब्यूरो

अयोध्या। भाजपा के नेता एवं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने सोमवार को राज्य के मूर्तिकार अरुण योगीराज को बधाई दी थी। उन्होंने कहा था कि उनके द्वारा बनाई गई प्रतिमा को अयोध्या के नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है। हालांकि, मंदिर का निर्माण करा रहे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपने फैसले की घोषणा नहीं की है। वहीं, अब राम मंदिर ट्रस्ट ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लेने की बात कही है।

संतों के परामर्श से लिया जाएगा निर्णय

ट्रस्ट पदाधिकारियों ने कहा कि ट्रस्ट द्वारा निर्णय शंकराचार्य विजयेंद्र सरस्वती और अन्य संतों के परामर्श से लिया जाएगा। ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने बताया कि ट्रस्ट का जो भी निर्णय होगा, उसे उचित समय पर सार्वजनिक किया जाएगा। चयनित प्रतिमा को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में एक समारोह में उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मंदिर के निर्माण का पहला चरण अब पूरा हो गया है।

पुरानी प्रतिमा को उत्सवों के लिए परिसर में रखा जाएगा

वर्ष 1949 से श्रद्धालु रामलला की प्रतिमा वाले अस्थायी मंदिर में पूजा-अर्चना करते रहे हैं। इस मंदिर को भी मंदिर निर्माण के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था, जो 2019 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद शुरू हुआ। शीर्ष अदालत ने अयोध्या में मंदिर-मस्जिद विवाद का निपटारा किया था। अब ट्रस्ट के पदाधिकारियों का कहना है कि पुरानी प्रतिमा को उत्सवों के लिए परिसर में रखा जाएगा।

तीन मूर्तिकारों ने प्रतिमा बनाई है

तीन मूर्तिकारों ने अलग-अलग पत्थरों से भगवान की प्रतिमाएं तैयार की हैं। इन प्रतिमाओं को जयपुर के मूर्तिकार सत्यनारायण पांडेय और कर्नाटक के गणेश भट्ट और अरुण योगीराज ने तैयार किया है। ट्रस्ट के प्राधिकारियों के मुताबिक, गर्भगृह के लिए प्रतिमा का चयन करते समय उसकी चमक लंबे समय तक टिके रहने जैसे पहलुओं पर एक तकनीकी रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा जाएगा।

ट्रस्ट पदाधिकारियों ने कहा कि ट्रस्ट द्वारा निर्णय शंकराचार्य विजयेंद्र सरस्वती और अन्य संतों के परामर्श से लिया जाएगा।

प्रतिमा का चयन करते समय उसकी चमक लंबे समय तक टिके रहने जैसे पहलुओं पर एक तकनीकी रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा जाएगा।



# "हिट एंड रन" तब और अब ! क्या था और क्या हुआ

सिटी24न्यूज/ब्यूरो

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून पर देशभर में बवाल खड़ा हो गया है। हाल ही में कानून में किए गए संशोधन का देशभर में चक्काजाम कर विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई प्रदेशों में ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल के चलते हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल पंपों पर लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं। सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है।

पहले हिट एंड रन का कानून क्या था?

भारत में हिट एंड रन के मामले भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत विशेष रूप से दंडनीय नहीं हैं। हालांकि, जब हिट एंड रन मामले का सवाल उठता है तो धारा 279, 304ए और 338 सामने आती हैं।

1. धारा 279 लापरवाह ड्राइविंग की परिभाषा और सजा का प्रावधान करती है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर इतनी तेजी से या लापरवाही से वाहन चलाता है कि इससे मानव जीवन को खतरा होता है, या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या चोट लगने की आशंका होती है, तो उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है या 2. एक हजार रुपये या दोनों तक बढ़ाया जा सकता है।

धारा 304ए में लापरवाही से मौत के लिए सजा का प्रावधान है। यह आईपीसी के तहत एक विशेष प्रावधान है और यह धारा सीधे हिट एंड रन मामलों पर लागू होती है जिसके चलते पीड़ितों की मृत्यु हो जाती है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी लापरवाही से किए गए किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, तो उसे दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

3. धारा 338 उस स्थिति में सजा का प्रावधान करती है जब पीड़ित की मृत्यु नहीं हुई हो लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो। इसमें कहा गया है कि जो



कोई भी जल्दबाजी या लापरवाही से काम करके किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाएगा, उसे 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

अब नया नियम क्या आया है?

जिस नियम को लेकर देशभर में बवाल मचा हुआ है वह हाल ही में संसद से पारित तीन नए कानून का हिस्सा है। दरअसल, आईपीसी की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 104 में हिट एंड रन का जिक्र किया गया है। यह धारा लापरवाही से मौत का कारण के लिए दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान करती है।

हिट एंड रन होता क्या है?

"हिट एंड रन" के मामले सड़क दुर्घटना से जुड़े होते हैं। "हिट एंड रन" का मतलब है तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और फिर भाग जाना। ऐसे में सबूतों और प्रत्यक्षदर्शियों के अभाव के कारण दोषियों को पकड़ना और सजा देना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या है "हिट एंड रन" कानून?

"हिट एंड रन" के केस में गलत ड्राइविंग या लापरवाही के चलते किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और ड्राइवर बिना पुलिस को सूचना दिए मौके से फरार हो जाता है, तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा 7 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है।

# ईडी के सामने आज भी पेश नहीं होंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

सिटी24न्यूज/ब्यूरो

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को पूछताछ के लिए आज फिर बुलाया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बार भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। ईडी के तीसरे समन का जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल ने ईडी को पत्र लिखा। उन्होंने पत्र लिखकर बताया कि आज वो ईडी के दफ्तर नहीं जाएंगे। ईडी के समन पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ईडी की जांच में सहयोग करने को तैयार हैं लेकिन एजेंसी का नोटिस अवैध है। उनका इरादा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को हाल में



ईडी ने तीसरा समन भेजा था। तीसरे समन में सीएम को बुधवार यानी आज पेश होने के लिए कहा गया है। इसके पहले वह दो बार ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर चुके हैं। क्या पहले की तरह इस बार भी केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे? इस पर उन्होंने कहा, 'इस सवाल का जवाब हमारी कानूनी टीम ही बेहतर दे सकेगी। हम कानून के अनुसार काम करेंगे।' आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को ईडी की ओर से यह तीसरा नोटिस है। इससे पहले दो नवंबर और 21 दिसंबर को भी समन जारी किए गए थे, लेकिन केजरीवाल ने पेश होने से इनकार कर दिया था। केजरीवाल ने ईडी के पहले के समन को 'अवैध' और 'राजनीति से प्रेरित' बताया था।

सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, यह चौकाने वाली बात है कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में हिट-एंड-रन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 2020 में कुल 52,448 हिट एंड रन के मामले सामने आए जिसमें 23,159 लोगों की जान चली गई।

तो नए नियम की जरूरत क्यों पड़ी

सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, यह चौकाने वाली बात है कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में हिट-एंड-रन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 2020 में कुल 52,448 हिट एंड रन के मामले सामने आए जिसमें 23,159 लोगों की जान चली गई। वहीं, 2021 में यह आंकड़ा बढ़ा और इस साल ऐसी 57,415 घटनाएं हुईं जिनमें 25,938 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।

फिलहाल हिट एंड रन के मामलों में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अपराध स्थल पर अपराधी के खिलाफ किसी भी प्रत्यक्ष सबूत का अभाव होता है। इस वजह से पुलिस अधिकारियों के लिए जांच को आगे बढ़ाना और अपराधी को दूढ़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। इनमें से ज्यादातर अपराधी भाग जाते हैं और शायद ही कभी पकड़ा जाते हैं।

सरकारी जनहितकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं जनमानस

# अंतिम व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़कर जीवन सुलभ बनाना विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रथम उद्देश्य

संकल्प यात्रा के गांवों में पहुंचने पर ग्रामीणों ने किया जोरदार स्वागत, योजनाओं की ली जानकारी

सिटी24न्यूज/ऋषि भारद्वाज

होडल। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मिशन है कि सरकारी योजनाओं को घर-घर पहुंचाएं। लोगों को जागरूक कर सरकारी योजनाओं की जानकारी दें। इस कार्य को पूरा करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई गई है। इन संकल्प यात्राओं में विभागीय अधिकारी लोगों को सरकार की तमाम जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं और मौके पर ही संभवतः कार्यों को पूरा कर रहे हैं। विधायक जगदीश नायर सोमवार को होडल खंड के गांव डाढका में संकल्प यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। विधायक



ने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति को उस संबंधित योजना का ज्ञान होना जरूरी है। इन संकल्प यात्राओं में संबंधित विभाग के अधिकारी बैंक ऋण, पशुपालन हेतु ऋण, कृषि विभाग संबंधी योजनाओं का पूरा ज्ञान लोगों को दे रहे हैं। हरियाणा भूमि सुधार एवं

विकास निगम के चेररमैन एवं होडल के विधायक जगदीश नायर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषकों के कल्याण के लिए किसान सम्मान निधि योजना चलाई, जिसके तहत किसान को 6 हजार रुपए सालाना सहायता राशि के रूप में दिए जाते हैं। इस धनराशि से किसान को खेत के

लिए खाद-बीज की खरीद करने में सहायता मिलती है। सरकार की ऐसी विभिन्न योजनाएं हैं, जिन पर 60 से 70 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। लोगों को चाहिए कि वे सरकार द्वारा उनके लिए बनाई गई इन जनहितकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं। केंद्र व प्रदेश सरकार लोगों का

जीवनस्तर उठाने के लिए, गरीब परिवारों की आमदनी बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। किसान, मजदूर व व्यापारी वर्ग की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार कार्य कर रही है। अंतिम व्यक्ति को समाज की मुख्यधारा से जोड़कर उनका जीवन सुलभ बनाना विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रथम

उद्देश्य है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का यह लक्ष्य है कि वर्ष 2047 में भारत पूरी तरह सम्पन्न, आत्मनिर्भर व विकसित होगा, जहां कोई गरीब नहीं रहेगा, सभी व्यक्तियों की आय अच्छी होगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने व्यवस्था परिवर्तन लाने का कार्य किया है। सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता लाई गई है। आज योग्यता के आधार पर युवाओं को सरकारी नौकरी मिल रही है। विधायक जगदीश नायर ने इसके पश्चात गांव लोहिना में भी बतौर मुख्यातिथि रथ यात्रा का स्वागत किया।

इसी प्रकार बडौली खंड के गांव माला सिंह फार्म, सुनहरी नगला और हसनपुर खंड के गांव रायदासका व बमारियाका में विधायक दीपक मंगला ने संकल्प यात्रा का स्वागत कर बतौर मुख्य अतिथि अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति सरकार की योजनाओं से वंचित नहीं रहेगा। लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर लाभ प्रदान करना सरकार का कर्तव्य है, जिसे पूर्ण करने हेतु रथ यात्रा चलाई गई है। उन्होंने आह्वान किया है कि वे इन रथ यात्राओं में पहुंचकर अवश्य लाभ उठाएं।

गुम हुए मोबाइलों को साइबर सेल टीम के सहयोग से खोजकर लोगों को सौंपे

नववर्ष पर जिला पुलिस अधीक्षक डॉ अंशु सिंगला ने लोगों को दिया तोहफा



सिटी24न्यूज/ऋषि भारद्वाज

पलवल। जिला पुलिस अधीक्षक डॉ अंशु सिंगला के मार्गदर्शन में जिले की साइबर सेल टीम जहां अपराध व अपराधियों पर शिकंजा कसने में अहम भूमिका निभा रही है वहीं जिला की साइबर सेल पुलिस टीम ने महत्वपूर्ण सुराग जुटा कर माह दिसंबर, 2023 में लोगों के गुम हुए 418333 रुपए कीमत के 25 मोबाइल फोन को ढूंढ कर सराहनीय कार्य किया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में खोजे गए मोबाइल फोनों के मालिकों को कार्यालय में बुलाकर एसपी डॉ अंशु सिंगला द्वारा मोबाइल फोन सौंपे गये। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने पुलिस का आभार जताया। वहीं मोबाइल फोन ढूंढने में अहम भूमिका निभाने वाली साइबर सेल की टीम की प्रशंसा की। आपको बता दें की जिला साइबर सेल ने वर्ष 2023

में 45 लाख रुपए से अधिक की कीमत के गुम 266 मोबाइल ट्रेस करने में सफलता हासिल की है। एसपी डॉ अंशु सिंगला, आईपीएस ने कहा कि पलवल की साइबर सेल का यह एक सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि जहां मोबाइल फोन मालिकों को उनके मोबाइल फोन मिलने की खुशी है वहीं उनके मोबाइल फोन अपराधी किस्म के लोगों के हथ्थे चढ़ने से भी बचे हैं। उन्होंने कहा कि साइबर पुलिस लगातार गुमशुदा मोबाइल्स की मॉनिटरिंग करती है इसी के परिणाम स्वरूप ही 6 महीने पहले खोया हुआ मोबाइल भी पुलिस टीम द्वारा बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने आमजन से भी आह्वान किया कि वे अपने मोबाइल फोन को पूरी तरह सुरक्षित रखें और किसी अनजान व्यक्ति को ना सौंपे ताकि अपराधी किस्म के लोग उनका फायदा न उठा पाए।

नव वर्ष के उपलक्ष में निशुल्क नेत्र एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन



सिटी24न्यूज/ऋषि भारद्वाज

पलवल। ग्राम पंचायत ततारपुर एवं गेल इंडिया लिमिटेड के तत्वाधान में नववर्ष के उपलक्ष्य में सोमवार निशुल्क नेत्र एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। महावीर इंटरनेशनल दिल्ली के सहयोग से आयोजित शिविर में 375 मरीजों की निशुल्क जांच कर दवाइयां व चश्मे वितरित किए गए। इस दौरान कुछ मरीजों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चुना गया। शिविर की अध्यक्षता सरपंच सुंदर शर्मा ने की। शिविर प्रभारी अमित के

नेतृत्व में सामान्य रोग विशेषज्ञ डॉ.अलपेश व नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ.गरिमा ने मरीजों की जांच की। उन्होंने मरीजों को स्वस्थ रहने की टिप्स भी दिए। मरीजों को बताया गया कि नियमित योग करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। सर्दी के मौसम में सावधानी बरतें और फास्ट फूड का प्रयोग न करें। हमेशा पौष्टिक भोजन ग्रहण करें। डॉ.गरिमा ने बताया कि प्रदूषण के कारण आंखों में एलर्जी होना आम बात है। इस समय केवल चिकित्सक के बताए अनुसार ही आंख दवा डालें। शिविर में मधुमेह, ब्लड प्रेशर सहित अन्य जांच भी की गई।

## विकसित भारत संकल्प यात्रा से समाज के अंतिम व्यक्ति तक मिल रहा है लाभ: दीपक मंगला

मौके पर ही लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निपटान किया जा रहा है

सिटी24न्यूज/ऋषि भारद्वाज

पलवल। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गांव माला सिंह फार्म हाउस मर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिनमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक दीपक मंगला ने शिरकत की। इस अवसर पर विधायक दीपक मंगला ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश-प्रदेश में अंत्योदय व गरीब के कल्याण व उसके उत्थान से संबंधित योजनाएं चलाकर गरीबों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया है। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विभिन्न स्टॉल व प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा आत्मनिर्भर व विकसित भारत का संकल्प दिलाया। पलवल विधायक दीपक मंगला ने कहा कि आज विकसित भारत जन संकल्प यात्रा पलवल के गांव



माला सिंह फॉर्म में पहुंची है। जहां पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया है। भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे

होने पर वर्ष 2047 में देश आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र होने का गौरव प्राप्त करेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

देशवासियों को भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का विजन दिया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मौके पर ही

विधायक दीपक मंगला ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने व्यवस्था में बदलाव करके पात्र लोगों में परिवारों को सरकार की योजनाओं का लाभ उनके घर द्वार पर उपलब्ध करवाया है। परिवार पत्र के माध्यम से घर बैठे लोगों को सरकार की सभी योजनाओं व सेवाओं का लाभ ऑनलाइन माध्यम से मिल रहा है। व्यवस्था परिवर्तन के चलते अब लोगों को सरकारी कार्यालय

के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। इन कार्यक्रमों में विभिन्न विभागों द्वारा अपने-अपने स्टाल लगाकर लोगों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर पात्र व्यक्तियों को लाभ प्रदान किया। रथ यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की पात्र महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन भेंट किए गए हैं। इसके अलावा उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्कूली बच्चों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, लोकल कलाकारों व खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र देकर भी सम्मानित किया है।

## नव वर्ष के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन और देशभगती रागनियों का भी किया गया आयोजन

सिटी24न्यूज/ऋषि भारद्वाज

पलवल। नववर्ष के उपलक्ष्य में सोमवार को सद्भावना, जल एवं पर्यावरण सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में लोक गायक देवी सिंह तवर, मनोज वर्मा व प्रतीक्षा तवर ने रागनियों के माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया। इस दौरान भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें दीघोट, मीतरोल, औरंगाबाद, रुधि, लाडियाका, रायदासका, बामनीखेड़ा व खिरबी के ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन की अध्यक्षता प्रवीण कुमार ने की, जबकि संचालन कृषि विशेषज्ञ डॉ. महावीर सिंह मलिक व तुहीराम ने किया।

सम्मेलन में आए वक्ताओं ने आपसी भाईचारा बढ़ाने, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने, बुजुर्गों



की सेवा करने, स्वच्छता व पानी बचाने, पर्यावरण सुरक्षा के लिए अधिक पौधे लगाने, युवाओं को धूम्रपान तथा मादक पदार्थों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया।

किसानों एवं पशुपालकों को गोबर को सड़क पर न डालकर कंपोस्ट खाद बनाकर जैविक खेती करने की बात कही। डॉ.मलिक ने कहा कि अगर दुनिया को बचाना है तो

पर्यावरण की सुरक्षा करनी होगी। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, हरेंद्रपाल, सरजीत खटाना, राजू सरपंच भुलवाना, देशराज चौहान,

सरपंच ललित कुमार, ब्रजपाल, करतार, देव थानेदार, तुहीराम, धर्म, रणबीर फौजी, विजन, सुखबीर फौजी, टेकी, मुरारी, गोपाल, सुरेंद्र, जुग मौजूद रहे।

जिला कारागार में विचाराधीन बन्धियों ने लिया जीवन में सकारात्मकता का संकल्प



सिटी24न्यूज/ऋषि भारद्वाज

पलवल। जिला कारागार में नववर्ष के प्रथम दिवस के अवसर पर परिरुद्ध बंधियों और कारागार कर्मचारियों के लिए जागरूकता कैंप आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संयोजन जेल अधीक्षक डा. संजय सिंह, पलवल डीनर्स बलब के मुख्य संयोजक आर्यवीर लायन विकास मित्तल और सह संयोजक अल्पना मित्तल ने किया। कार्यक्रम में जेल अधीक्षक

ने उपस्थिति को सत्य मार्ग पर चलकर जीवन जीने की कला के बारे में जागरूक किया। मनुष्य को कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती के सिद्धांत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार बहुप्रसिद्ध डाकू अंगुलिमाल और वाल्मिकी ने गलत रास्ता छोड़कर नेकी और सच्चाई का रास्ता अपनाया ठीक उसी प्रकार हम सभी को बुराई का रास्ता छोड़कर सच्चाई का रास्ता अपनाना चाहिए। अध्यात्म

की शक्ति से ही हृदय परिवर्तन होता है। जब हृदय परिवर्तन होगा तभी समाज, प्रदेश और राष्ट्र के अंदर परिवर्तन आएगा। युग परिवर्तन तभी होगा जब व्यक्ति का हृदय परिवर्तित होगा। उप जेल अधीक्षक नरेश गोयल ने सभी का धन्यवाद करने के साथ साथ सभी से सत्य मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इस अवसर पर वरिष्ठ फार्मासिस्ट विजय कालरा, हैड वार्डर शीश राम, परमिन्द्र त्यागी, वार्डर सुनील आदि उपस्थित थे।











